सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

भाद्र 21, शुक्रवार, *शाके* 1947- सितम्बर 12, 2025
Bhadra 21, Friday, Saka 1947- September 12, 2025

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत शासन विभाग, राज. जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, जून 10, 2025

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्धि)डीएलबी/25/12731 :-विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के क्रम में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क)(प) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानकों को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार ग्राम पंचायत दलोट जिला प्रतापगढ़ के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/4748 दिनांक 06.10.2023 के द्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया गया था, साथ ही विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2025 दिनांक 01.06.2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दलोट के निर्वाचित सरपंच/उपसरपंच को क्रमशः अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष एवं वार्ड पंचों को वार्ड सदस्य समझा जाने हेतु निर्देशित किया गया था ।

अतः राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) (प) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका दलोट के गठन हेतु जारी विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.10 (न.पा.) (गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/4748 दिनांक 06.10.2023 को प्रशासनिक कारणों से एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रत्याहारित (Withdraw) किया जाता है। नगरपालिका दलोट (जिला प्रतापगढ़) के क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायते एवं राजस्व ग्राम पूर्ववत पंचायत का भाग रहेगें तथा ग्राम पंचायत दलोट नियमानुसार कार्यरत रहेगी ।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

इन्द्रजीत सिंह,
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।